संख्या-140 /2025/।/1102103/2025/71-1002/13/2022 पार्ट-1

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र00प्र, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 26 सितम्बर, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र सहायतित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 50 यू0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष **चर्म एवं गुप्त रोग विभाग में लेजर मशीन की स्थापना हेतु उपकरणों के क्रय** हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज (उप0-1090)/2025-26/355, दिनांक 03.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 50 यू0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष चर्म एवं गुप्त रोग विभाग में लेजर मशीन की स्थापना हेतु उपकरणों के क्रय हेतु रू0 257.45 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 50 यू0जी0 (एम0बी0बी0एस0) सीटों की वृद्धि हेतु रू0 60.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना का फण्डिंग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश राज्यांश) है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत रू0 60.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 38.40 करोड़ (केन्द्रांश रू0 14.40 करोड़ व राज्यांश रू0 24.00 करोड़) महानिदेक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के निर्वतन पर एस0एन0ए0 खाते में हस्तांरित किया जा चुका है। वर्तमान में रु0 5.3351 करोड़ (राज्यांश) की धनराशि महानिदेशक के निर्वतन पर एस0एन0ए0 खाते में रक्षित/उपलब्ध है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 50 यू0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष **चर्म एवं गुप्त रोग विभाग में लेजर मशीन की स्थापना** हेतु उपकरणों **(संलग्नक के अनुसार)** के क्रय हेतु **रू0 257.45 लाख (रुपये दो करोड़ सत्तावन लाख पैंतालिस हजार मात्र) (राज्यांश)** की धनराशि, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर एस0एन0ए0 खाते में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रक्षित धनराशि में से हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. सुसंगत वित्तीय व क्रय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता आदि की जिम्मेदारी सम्बंधित प्रधानाचार्य की होगी।
2. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति किये जाने का दायित्व प्रधानाचार्य का होगा।
3. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
4. उपकरणों के कय में 05 वर्ष की वारण्टी/सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
5. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी

उप सचिव।

संलग्नक-

राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 50 यू0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष चर्म एवं गुप्त रोग विभाग में लेजर मशीन की स्थापना हेतु उपकरणों की सूची:-

क्र0	उपकरण का नाम	मात्रा (नग)	प्रति नग अनुमानित मूल्य (05 वर्ष की वांरटी के साथ)	कुल अनुमानित मूल्य (05 वर्ष की वांरटी के साथ)
1	Triple Wevelength Diode Laser	1	56,28,560	56,28,560.00
2	Nd Yag Laser	1	60,00,176	60,00,176.00
3	CO2 Laser & MNRF	1	53,59,312	53,59,312.00
4	NBUVB Chamber	1	18,12,670	18,12,670.00
5	Excimer Laser	1	11,99,282	11,99,282.00
6	Micro Derma Abrader Machine	4	60,000	2,40,000.00
7	Optical loop for hair transplant	2	60,000	1,20,000.00
8	Multipurpose Derma Chair	2	2,00,000	4,00,000.00
9	IPL Laser	1	45,00,000	45,00,000.00
10	Slit Maker	10	15,000	15,000.00
11	Forceps	1	15,000	15,000.00
12	Fue Counting Machine	1	40,000	40,000.00
13	Fue Digitak Extractor	1	1,00,000	1,00,000.00
14	Electro Cautery	1	1,00,000	1,00,000.00
15	Radio Cautery	4	50,000	2,00,000.00
Total				**2,57,45,000.00**

आनन्द कुमार त्रिपाठी

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in